न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 28/2021 अपील (GCMS/2021/30)
पंजीयन दिनांक - 16.02.2021
निर्णय दिनांक - 15.12.2021

1. **नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण प्रभारी तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मिण्डा मार्बल उद्योग, कार्यालय 123, हिरण मगरी, सेक्टर 11, जिला उदयपुर जरिये प्रोपराईटर मृतक श्री महावीर मिण्डा के बजाय वारिसान-

1. **श्रीमती नीलम मेहता पुत्री स्व. श्री महावीर मिण्डा एवं पत्नि श्री कमल कुमार मेहता, निवासी 207, कल्पतरू, लोअर परेल, मुम्बई (महाराष्ट्र)।**
2. **श्रीमती रूबी दावडा पुत्री स्व. श्री महावीर मिण्डा एवं पत्नि श्री कीर्ती दावड़ा, निवासी 36, रॉयल पाम, आर.ए.कॉलोनी, गोरेगांव (ईस्ट) मुम्बई (महाराष्ट्र)।**
3. **श्रीमती मणी कारवा पुत्री स्व. श्री महावीर मिण्डा एवं पत्नि श्री जय कुमार कारवा, निवासी 123, हिरण मगरी, सेक्टर-11, जिला उदयपुर।**
4. **श्रीमती मुक्ता जैन पुत्री श्री महावीर मिण्डा एवं पत्नि श्री विजय जैन, निवासी 166, भुपालपुरा ओ रोड, जिला उदयपुर।**
5. **श्रीमती तृप्ती सेठ पुत्री स्वी. महावी मिण्डा एवं पत्नि श्री धर्मेश सेठ, निवासी 94, ए/1 क्लासिक, दाता पाड़ा रोड़, बोरीवली (ईस्ट), मुम्बई (महाराष्ट्र) जरिये अधिकार ग्रहिता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 श्री गणेश चन्द्र शर्मा पिता स्व. श्री रामचन्द्र शर्मा, निवासी 107, सर्वऋतु विलास, जिला उदयपुर।**
6. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील अपीलार्थी
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - वकील प्रत्यर्थी-1 से 5
3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-6

प्रकरण संख्या-61/2019, में मैसर्स मिण्डा मार्बल उद्योग व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2020 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 15.12.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-61/2019, में मैसर्स मिण्डा मार्बल उद्योग व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2020 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- प्रत्यर्थी-1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-1087 दिनांक 30.06.2010 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की और कथन किया कि उनकी फर्म के स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी संख्या-117 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी संख्या-1850/359 होकर 0.2500 है. भूमि स्थित है, जिस पर मिण्डा मार्बल उद्योग के नाम से फर्म स्थापित है। यह भूमि कार्यालय जिला कलक्टर, उदयुपर के आदेश दिनांक 10.10.1983 से उद्योग स्थापित करने के लिए साबिक नम्बर से प्रोपराईटर श्री महावीर मिण्डा के नाम पर आवंटित की गई जिस पर उक्त मार्बल व्यवसाय किया जा रहा है। इसकी लीज डीड दिनांक 19.09.1984 उपपंजीयक, उदयपुर में दिनांक 23.10.1984 को निष्पादित की गई। महावीर मिण्डा द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 23.09.2006 को उसकी पत्नि श्रीमती लीला मिण्डा के नाम निष्पादित की गई। उसकी मृत्यु दिनांक 20.10.2007 को होने से श्रीमती लीला मिण्डा इस पर काबिज हुई। लीला मिण्डा द्वारा अपनी वसीयत दिनांक 01.02.2010 से संयुक्त रूप से अपनी पुत्रियों श्रीमती नीलम मेहता, रूबी दावडा, मणी कारवा, मुक्ता जैन, तृप्ती सेठ एवं प्रिती जैन के पक्ष में निष्पादित की। श्रीमती लीला के देहावसान दिनांक 17.05.2010 उनकी पुत्रियां इस भूमि पर काबिज हुई। उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या-426 दिनांक 20.03.1985 से स्वीकृत भी होकर जमाबंदी में इन्द्राज हुआ, परन्तु सहवन से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज हुई और तत्पश्चात नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम पर हस्तांतरित कर दी। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष उज्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा नगर विकास प्रन्यास को लिखा गया परन्तु नगर विकास प्रन्यास से कोई जवाब नहीं भेजा गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या-1087 दिनांक 30.06.2010 को निरस्त फरमाया जाकर उनके नाम आवंटित भूमि का नाम खोले जाने के आदेश प्रदान करावें।

- अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2020 से निर्णय पारित किया कि ''**वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा मिण्डा मार्बल उद्योग सुखेर हेतु साबिक आराजी नं. 117 मी में से एक बीघा भूमि आवंटन हुई थी। जिसका राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण सं. 426 दिनांक 20.03.85 से राजस्व**

अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश हो चुके थे। परन्तु नामान्तरकरण खोले जाने के उपरान्त भी यह भूमि सहवन से बिलनाम ही राजस्व अभिलेख में दर्ज रही। कालान्तर में यह भूमि बिलानाम ही रही। नगर विकास प्रन्यास के पेरोफेरी क्षेत्र में जितनी भी बिलानाम सरकारी भूमियां थी, वह भूमियां नगर विकास प्रन्यास को हस्तान्तरित किये जाने बाबत राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में समस्त बिलानाम सरकारी भूमियों का नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को हस्तान्तरित अपीलीय नामान्तरकरण कर दी गई। उसी आदेश के तहत आराजी नं. 1850/359 भी वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो चुकी है। इस सम्बन्ध में अपीलान्टगणों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से अनापत्ति प्राप्त नहीं हुइ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन के पश्चात न्यायालय का मत रहा है कि उद्योग स्थापित करने हेंतु आवंटित भूमि अपीलान्टगण के नाम दर्ज होनी चाहिए। इस संबंध में न्यायालय यह भी उचित समझता है कि अपीलान्टगणों के पूर्वाधिकारी श्री महावीर मिण्डा पिता मोतीलाल जी मिण्डा को यह भूमि मार्बल उद्योग स्थापित करने हेतु आवंटित की गई। यदि इस आवंटित भूमि पर वर्तमान में भी मार्बल उद्योग संचालित होकर आवंटन नियम/शर्तों की पालना उद्यमी द्वारा की जा रही है, तो ही वह यह भूमि पुनः अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारियता रखता है। वर्तमान में मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्टगण उसकी पुत्रियां है। तहसीलदार बड़गावं से वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की वर्तमान विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाकर यदि मौके पर मार्बल उद्योग संचालित है तो मौजा सुखेर के साबिक आराजी नं. 117 रकबा एक बीघा हाल आराजी नं. 1850/359 रकबा 0.2500 है. भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से खारिज कर अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर से प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है अन्यथा नियमानुसार आवंटन निरस्ती की कार्यवाही विधिवत की जायें। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर यदि आवंटी द्वारा मौके पर मार्बल उद्योग संचालित किया जा रहा है तो राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें अन्यथा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही अमल में लाई जायें।''

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2020 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 16.02.2021 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 16.02.2021 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 14.12.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा वर्तमान प्रत्यर्थी-1 से 5 के कथनों के खण्डन में प्रस्तुत किया गया था कि अपील मयाद बाहर है। आवंटन दिनांक 10.10.83 में हुआ, अपीलीय नामान्तरकरण दिनांक 30.06.2010 को पारित हुआ जिसकी अपील 9 वर्ष अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुई, अधीनस्थ न्यायालय समक्ष देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताने से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील मयाद के बिन्दु पर खारिज योग्य थी। तहसीलदार द्वारा कलक्टर के आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जब तक मूल आदेश की अपील होकर मूल आदेश अपास्त नहीं हो जाता है तब तक नामान्तरकरण की अपील नहीं की जा सकती है क्योंकि अपीलीय नामान्तरकरण एक वैध आदेश से खोला गया है जिसे खोले जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय प्रत्यर्थी-1 से 5 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। एक पुत्री श्रीमती प्रिती जैन को न तो अपीलार्थी, न ही प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किया गया ऐसी स्थिति में पक्षकारों के कुंसयोजन के कारण भी अपील खारिज योग्य है। हाल आराजी नम्बर 1850/359 रकबा 0.2500 है. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड हो काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपील की बहस दिनांक 13.01.2010 को सुनी जाकर निर्णय सुरक्षित रख लिया गया और निर्णय दिनांक की जानकारी नहीं दी गई। कालान्तर में कोविड-19 महामारी के दौरान असंमजस की स्थिति में अपील समय पर दाखिल नहीं की जा सकी। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा-5 मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज करते हुए हाल आराजी नम्बर 1850/359 रकबा 0.2500 है. अपीलार्थी के नाम रखाई जावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी फर्म के स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी संख्या-117 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी संख्या-1850/359 होकर 0.2500 है. भूमि स्थित है, जिस पर मिण्डा मार्बल उद्योग के नाम से फर्म स्थापित है। यह भूमि कार्यालय जिला कलक्टर, उदयुपर के आदेश दिनांक 10.10.1983 से उद्योग स्थापित करने के लिए साबिक नम्बर से प्रोपराईटर श्री महावीर मिण्डा के नाम पर आवंटित की गई जिस पर उक्त मार्बल व्यवसाय किया जा रहा है। इसकी लीज डीड दिनांक 19.09.1984 उपपंजीयक, उदयपुर में दिनांक 23.10.1984 को निष्पादित की गई। महावीर मिण्डा द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 23.09.2006 को उसकी पत्नि श्रीमती लीला मिण्डा के नाम निष्पादित की गई। उसकी मृत्यु दिनांक 20.10.2007 को होने से श्रीमती लीला मिण्डा इस पर काबिज हुई। लीला मिण्डा द्वारा अपनी वसीयत दिनांक 01.02.2010 से संयुक्त रूप से अपनी पुत्रियों श्रीमती नीलम मेहता, रूबी दावडा, मणी कारवा, मुक्ता जैन, तृप्ती सेठ एवं प्रिती जैन के पक्ष में निष्पादित की। श्रीमती लीला के देहावसान दिनांक 17.05.2010 उनकी पुत्रियां इस भूमि पर

काबिज हुई। उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या-426 दिनांक 20.03.1985 से स्वीकृत भी होकर जमाबंदी में इन्द्राज हुआ, परन्तु सहवन से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज हुई और तत्पश्चात नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम पर हस्तांतरित कर दी। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष उज्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा नगर विकास प्रन्यास को लिखा गया परन्तु नगर विकास प्रन्यास से कोई जवाब नहीं भेजा गया। जिससे प्रत्यर्थी फर्म जरिये पार्टनर द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या-1087 दिनांक 30.06.2010 को निरस्त फरमाया जाकर उनके नाम आवंटित भूमि का नाम खोले जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के अधिवक्ता की उपस्थिति का अंकन किया गया है, ऐसे में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, परन्तु उनके द्वारा हस्तगत अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई जो मयाद के बिन्दु पर ही निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्यर्थी-6 की ओर से राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का अनुरोध किया।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2020 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2021 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद के सम्बन्ध में कोविड-19 कोरोना काल के लाकडॉउन के कारण अपील देरी से दायर करने का उल्लेख किया है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23. 09.2021, मिसलेनियस एप्लीकेशन न. 665/221 इन एसएमडब्ल्यू (सी) न. 03/2020 में दिनांक 15.03.2020 से 02.10.2021 तक सभी तरह के प्रकरण में मयाद को क्षम्य करने हेतु आदेश किया है।** उक्त आदेश की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 141 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी इस न्यायालय समक्ष दिनांक 31.08.2021 को प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण को उपलब्ध कराई गई। उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण से विभिन्न दस्तावेज तलब किये जाने का अनुरोध किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण-1 से 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा जो दस्तावेज जैसे की उद्योग संचालन हेतु लाईसेंस, टीन नम्बर, विद्युत एवं नल बिल इत्यादि चाहे गये। इस तरह के दस्तावेज तलब किये जाने का अधिकार नगर विकास प्रन्यास को नहीं है क्योंकि यह विवाद राज्य सरकार/जिला

कलक्टर एवं प्रत्यर्थी के मध्य है, न कि नगर विकास प्रन्यास का क्योंकि यदि किसी प्रकार का आवंटन निरस्त किया जाता है तो वह जिला कलक्टर द्वारा ही किया जा सकता है और ऐसे दस्तावेज केवल राज्य सरकार द्वारा ही तलब किये जा सकते है और वही इसकी जांच कर सकते है, न ही इस प्रकरण में इन दस्तावेज के संबंध में कोई विवाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी उत्पन्न किया गया। यही केवल विवाद मात्र जो आवंटित भूमि रेस्पोडेंट को हुई थी, उस भूमि के सहवन से नगर विकास प्रन्यास के नाम नामान्तरकरण से संबंधित है, उस नामान्तरकरण को प्रत्यर्थी ने अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी, जिसमें मात्र यह देखा जाना है कि वास्तव में उक्त भूमि सर्वप्रथम किसके खातेदारी में दर्ज थी और किसको आवंटन हुई और आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि की प्रकृति चैंज हो चुकी है तथा पुनः मूल स्वरूप में दर्ज हुई जिसे चुनौती दी गई। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 141 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी को निराधार होने से निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 5 द्वारा दस्तावेज मय तहसीलदार, बड़गावं का पत्र दिनांक 21.09.2020 पेश कर कथन किया कि तहसीलदार द्वारा जांच में मौके पर एक एज कटिंग मशीन चालु होकर पत्थर काटने, मौके पर एक कमरा, शेड, दो पानी के टेंक बने होकर शर्तों की पालना किये जाने का अंकन किया है, ऐसे में उक्त दस्तावेजों को पत्र दिनांक 21.09.2020 के परिपेक्ष्य में कोई औचित्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं उसके खण्डन में प्रस्तुत जवाब का गहनापूर्वक अध्ययन किया गया और पाया कि जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय में उनके कार्यालय के राजस्व अनुभाग को आवंटन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये, जिसके अनुसरण में राजस्व अनुभाग द्वारा जांच की जानी है। यह न्यायालय यह पाता है कि अपीलार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 141 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी से इस न्यायालय स्तर पर दस्तावेज तलब कर राजस्व अनुभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही कराना चाहता है, जो आवंटन निरस्ती के संबंध में है। हस्तगत प्रकरण नामान्तरकरण की कार्यवाही से संबंधित होने से और अपील की वांछित अनुतोष भी नामान्तकरण के संबंध में ही है, ऐसे में आवंटन के संबंध में कोई प्रतिकुल टिप्पणी इस न्यायालय द्वारा इस स्तर पर किया जाना अपेक्षित नहीं है। ऐसे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 141 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किये जाने के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विवादित भूमि से संबंधित नामान्तरकरण संख्या 426 यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 10.10.1983 से मेसर्स मिण्डा मार्बल उद्योग सुखेर हेतु साबिक आराजी नं. 117 मी में से एक बीघा भूमि आवंटन हुई थी। जिसका राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण सं. 426 दिनांक 20.03.85 से राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश हो चुके थे। मिलान खसरा नम्बर 1850/359 साबिक नम्बर 117 मीन से बने है। हस्तगत प्रकरण

में मैसर्स मिण्डा मार्बल्स् को प्रचलित राजस्थान इण्डस्ट्रीय एरिया एलोटमेंट रूल्स 1959 के प्रावधानों के तहत आवंटन किया गया, जिससे आवंटित भूमि पर आवंटी की टाईटल बनता है, किन्तु जारी लीज का सहवन से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं होने से भूमि बिलानाम दर्ज रही और तत्पश्चात नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को सम्बोधित पत्र दिनांक 28.06.2019 में उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के निष्पादन से पूर्व तहसीलदार, बड़गावं से मौके की रिपोर्ट लिया जाने का अंकन है जिसके अनुसार मौके पर मिण्डा मार्बल का बेनर लगा होकर निर्माण किये जाने एवं पुरानी मशीन लगी होने का अंकन है। उक्त रिपोर्ट अनुसार में प्रथम दृष्टता मौके पर उद्योग स्थापित होकर संबंधित का कब्जा है। उक्त स्थिति में मध्यनजर राजस्व नियमों के तहत उक्त भूमि आवंटी के नाम दर्ज होना अपेक्षित थी परन्तु आवंटी के नाम दर्ज न होकर त्रुटिपूर्ण तरिके से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो गई। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पत्र दिनांक 28.06.2019 से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से उक्त त्रुटि को सुधार करने से पूर्व नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से आपत्ति चाही परन्तु कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई यद्यपि अधिवक्ता द्वारा केवल मयाद के बिन्दु पर आपत्ति जाहिर दिया गया। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 10.10.1983 से मेसर्स मिण्डा मार्बल उद्योग सुखेर हेतु साबिक आराजी नं. 117 मी में से एक बीघा भूमि आवंटन हुई थी। जिसका राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण सं. 426 दिनांक 20.03.85 से राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश हो चुके थे, परन्तु नामान्तरकरण खोले जाने के उपरान्त भी यह भूमि सहवन से बिलनाम ही राजस्व अभिलेख में दर्ज रही। राजस्व नियमों के परिपेक्ष्य में उक्त भूमि आवंटी के नाम दर्ज होना अपेक्षित थी परन्तु आवंटी के नाम दर्ज न होकर त्रुटिपूर्ण तरिके से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो गई। ऐसे त्रुटीपूर्ण कार्यवाही पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होते है, इन्हे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में अधीनस्थ समक्ष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद बाधित नहीं कहा जा सकता है। यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निम्नांकित निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत है-

> **''उद्योग स्थापित करने हेंतु आवंटित भूमि अपीलान्टगण के नाम दर्ज होनी चाहिए। इस संबंध में न्यायालय यह भी उचित समझता है कि अपीलान्टगणों के पूर्वाधिकारी श्री महावीर मिण्डा पिता मोतीलाल जी मिण्डा को यह भूमि मार्बल उद्योग स्थापित करने हेतु आवंटित की गई। यदि इस आवंटित भूमि पर वर्तमान में भी मार्बल उद्योग संचालित होकर आवंटन नियम/शर्तों की पालना उद्यमी द्वारा की जा रही है, तो ही वह यह भूमि पुनः अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारियता रखता है। वर्तमान में मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्टगण उसकी पुत्रियां है। तहसीलदार बड़गावं से वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की वर्तमान विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाकर यदि मौके पर मार्बल उद्योग संचालित है तो मौजा सुखेर के साबिक आराजी नं. 117 रकबा एक बीघा हाल आराजी नं. 1850/359 रकबा 0.2500 है. भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से खारिज कर अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृति प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर से प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है अन्यथा नियमानुसार आवंटन निरस्ती की कार्यवाही**

विधिवत की जायें। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर यदि आवंटी द्वारा मौके पर मार्बल उद्योग संचालित किया जा रहा है तो राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें अन्यथा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही अमल में लाई जायें।"

हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पुरी तरह गौर किया एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर